//निविदा की शर्तें//

1/ निविदा सील बंद लिफाफे के उपर ''02 टन का 02–02 ए0सी0 एवं 1.5 टन का 01–01 ए0सी0 हेतु निविदा'' लिखा जाकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ0ग0) को संबोधित करते हुए लिफाफे के बायी ओर स्वयं का पूरा पता एवं टेलीफोन/मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी अंकित कर निविदा आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ0ग0) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डाक अथवा कोरियर सेवा के माध्यम से प्रेषित की जा सकेगी। दिनांक 10.03.2021 के शाम 5:00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त निविदा आवेदन लिफाफे पर ही विचार किया जावेगा।

2/ निविदाएँ खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष उपस्थित रह सकते है। निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति की दशा में क्रय समिति के द्वारा निविदा खोली जावेगी।

3/ प्रदाय की जाने वाली सामाग्री मापदण्ड के अनुरूप प्राप्त नहीं होने की दशा में स्वीकार नहीं की जावेगी तथा निविदाकार/प्रदायकर्ता को उसे, अपने स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा।

4/ यदि प्रदाय की जाने वाली सामाग्री में किसी प्रकार की कमी/खराबी पायी जाती हो तो कार्यालय के द्वारा उक्त सामाग्री को किसी भी समय लौटाई जा सकेगी तथा निविदाकार को खराब सामाग्री के स्थान पर दूसरी सामाग्री प्रदाय करना होगा।

5/ सामाग्री की दर्शित दर पर सामाग्री को कार्यालय तक पहुँचाने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी, मालभाड़ा, ढुलाई आदि की व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।

6/ सामाग्री की दर सभी प्रकार की कर को मिलाकर होगी। निविदाकार को सामाग्री के पूर्ण विवरण एवं कर इत्यादि के संबंध मे स्पष्ट उल्लेख करना होगा। प्राप्त निविदा को स्वीकार किये जाने अथवा बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किये जाने का सम्पूर्ण अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ0ग0) के अधीन होगा।

7/ प्रदाय की जाने वाली सामाग्री की सत्यता के संबंध में, कि सामाग्री वास्तविक कम्पनी की है, निविदाकार को तत्संबंध में दस्तावेज एवं शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ निविदा प्राप्ति के अंतिम दिवस के अगले दिवस दिनांक 11.03.2021 को खोली जावेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से निविदा खोली नहीं जा सकी तो आगामी कार्य दिवस पर खोली जावेगी।

9/ जिन फर्मो के द्वारा निविदा भरी जावेगी, उनको संबंधित कम्पनी के अधिकृत डीलर/विक्रेता होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10/ सुरक्षा निधि के रूप में अनुमानित क्रय मूल्य रूपये 2,66,000 (शब्दो में रूपये दो लाख छैंसठ हजार) का 2 प्रतिशत 5320/– (शब्दो में रूपये पॉच हजार तीन सौ बीस मात्र) की सुरक्षा निधि "जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0) के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

11/ स्वीकृत निविदाकार को छोड़कर शेष असफल निविदाकार की सुरक्षानिधि लौटा दी जावेगी तथा स्वीकृत निविदाकार की सुरक्षानिधि सामाग्री प्रदाय की शर्तो का पालन करने पर सफल निविदाकार को लौटाई जावेगी।

12/ निविदा की शर्ते एवं निविदा का प्रारूप जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/raipur से डाउनलोड की जा सकती है।

13/ सामाग्री प्रदाय किये जाने के पश्चात उसके लगाने एवं वारंटी अवधि में आई किसी तकनीकी खराबी हेतु, कम्पनी से समन्वय का कार्य सफल निविदाकार के द्वारा किया जावेगा।

14/ सफल निविदाकार को राशि का भुगतान 02 टन का 02–02 ए0सी0 एव 1.5 टन का 01–01 ए0सी0 उपकरणों के लगाने एवं कार्यालय के सन्तुष्टि के उपरांत ही किया जावेगा।

15/ 02 टन का 02–02 ए0सी0 एवं 1.5 टन का 01–01 ए0सी0 उपकरणों को लगाने हेतु व्यय सफल निविदाकार के द्वारा वहन किया जावेगा।

18.2.21

अध्यक्ष
क्रय समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप

(जिला न्यायालय रायपुर छ.ग. हेतु 06 नग ए.सी. क्रय किये जाने के संबंध में)

क्र0	विवरण	संस्था / फर्म / निविदाकार के द्वारा दी जाने वाली जानकारी
01	संस्था / फर्म का नाम	
02	संस्था / फर्म के मालिक का नाम	
03	संस्था / फर्म का पता	
04	दुरभाष कमांक	
05	पेन कार्ड नम्बर	
06	TIN नम्बर	
07	TAN नम्बर	
08	आथराईजेशन प्रमाण पत्र	
09	अन्य विवरण जो आवश्यक हो	
	निविदा प्रस्ताव (Commercial bid)	
01	सुरक्षा निधि राशि	
02	डिमाण्ड ड्राफ्ट का नम्बर	
03	जारीकर्ता बैक का नाम	
04	जारी दिनांक	
	प्रदाय की जाने वाली सामाग्री का विवरण	
	सामाग्री का नाम	प्रस्तावित दर (प्रतिनग)
01	4 नग ए.सी. (2 टन)	
02	2 नग ए.सी. (1.5 टन)	

निविदाकार का हस्ताक्षर
फर्म / संस्था का सील